भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3441

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

किफायती उर्वरक का उपयोग

3441. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन-आधारित आजीविका और जनजातीय कृषि प्रणालियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कम लागत वाले, पर्यावरण-अनुकूल उर्वरकों या रासायनिक आदानों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत शामिल क्षेत्रों, कार्यान्वयन एजेंसियों और प्रोत्साहित किए जाने वाले आदानों के प्रकार सहित ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ऐसे समाधानों को डिजाइन या कार्यान्वित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय या ग्राम सभाओं से परामर्श किया है;
(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार आकांक्षी जनजातीय जिलों को लक्षित करते हुए स्थायी आदान रणनीतियों के साथ कोई प्रायोगिक परियोजना या समर्पित योजनाएं शुरू करने का विचार रखती है; और
(ड.) जनजातीय किसानों के लिए पारिस्थितिक संतुलन और सामर्थ्य सुनिश्चित करने हेतु पारंपरिक जैविक आदानों को आधुनिक कम लागत वाले उर्वरकों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी हाँ। भारत सरकार ने आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और वन-आधारित आजीविकाओं को बनाए रखने पर विशेष ज़ोर देते हुए, कम लागत वाले, पर्यावरण-अनुकूल उर्वरकों और कृषि आदानों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति भी शुरू की है। जैविक खेती, पारंपरिक कृषि पद्धतियों और वनोपज के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने वाली स्कीमों के अभिसरण के माध्यम से, सरकार इन समुदायों के लिए स्थायी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि पद्धतियों को अपनाने पर सक्रिय रूप से बल दे रही है। इस पहल के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

(i) **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई):-** एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसमें क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। पीकेवीवाई के तहत, किसानों को जैविक आदानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें आदिवासी और

सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। इस स्कीम में किफायती और पर्यावरण के अनुकूल कृषि समाधानों की आवश्यकता को सीधे तौर पर पूरा किया जाता है। अब तक, पीकेवीवाई कृषि भूमि के बड़े हिस्से को जैविक खेती के अंतर्गत लाने में बड़ी सहायक रही है, जिससे असंख्य आदिवासी किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ii) **भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी):-** पारंपरिक पद्धति को पुनर्जीवित और मान्य करने की एक पहल के रूप में, सरकार इस स्कीम के माध्यम से पारंपरिक कृषि पद्धति को बढ़ावा दे रही है। इस पद्धति में प्रभावी रूप से एक शून्य-बजट, पर्यावरण-अनुकूल कृषि मॉडल सृजित करते हुए कृषि-आधारित, प्राकृतिक आदानों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। पीढ़ियों से चली आ रही पद्धतियों को प्रोत्साहित करके, बीपीकेपी से खेती की लागत न केवल कम होता है, बल्कि मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता में भी संवर्द्धन होता है।

(iii) **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर):-** पूर्वोत्तर राज्यों, जहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी रहती है, के लिए समर्पित यह स्कीम सुदृढ़ जैविक मूल्य श्रृंखलाएँ विकसित करने पर केंद्रित है। इसमें किसानों को जैविक आदान प्राप्त करने से लेकर उनकी उपज के विपणन तक, व्यापक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे इस क्षेत्र में जैविक कृषि के लिए एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है।

(iv) **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) स्कीम:-** इस स्कीम के तहत, आदिवासी क्षेत्रों के किसानों सहित अन्य किसानों को उनकी मृददा की पोषकता की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्राप्त होता है। एसएचसी स्कीम के अंतर्गत, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमियों के आधार पर रासायनिक उर्वरकों और जैविक खादों दोनों के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए सुझाव प्रदान किए जाते हैं।

(v) **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए):-** इस स्कीम का भी इस उद्देश्य में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी) कार्यक्रम अपने विभिन्न उप-मिशनों जैसे के माध्यम से, एनएमएसए में ऐसी एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाता है जिनमें जैविक खाद और जैव-उर्वरकों के उपयोग पर बल दिया जाता है। ये पद्धतियां स्वाभाविक रूप से अधिक लचीली और महंगे रासायनिक आदानों पर कम निर्भर होती हैं, जिससे ये आदिवासी और वन-सीमांत क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक संदर्भ के लिए आदर्श हैं।

(vi) **धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)**:- प्रधानमंत्री-प्रणाम स्कीम का उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के माध्यम से धरती माता के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन का सहयोग करना है। सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रधानमंत्री-प्रणाम स्कीम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री-प्रणाम स्कीम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में कमी करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है, जो उर्वरक सब्सिडी की बचत के 50% के बराबर है।

(ग) और (घ): जी नहीं।

(ङ.): सरकार पारंपरिक जैविक आदानों को आधुनिक, कम लागत वाले उर्वरकों के साथ एकीकृत करके पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने और आदिवासी समुदायों के लिए खेती की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह दृष्टिकोण 'रासायनिक बनाम जैविक' के साधारण द्वंद्व से आगे बढ़कर आदिवासी किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं और विवेक के अनुरूप एक सतत और समग्र कृषि मॉडल पर केंद्रित है।

इस पहल का मूलभूत सिद्धांत एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) है, जिसे पीकेवीवाई; बीपीकेपी; एसएचसी; पीएम-प्रणाम; और एमओवीसीडीएनईआर आदि सहित राष्ट्रीय स्तर की स्कीमों के अभिसरण के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसका मुख्य ध्येय एकीकृत तरीके से जैविक, अजैविक और जैविक घटकों के सभी संभावित स्रोतों का इष्टतम लाभ उठाते हुए फसल की वांछित उत्पादकता को बनाए रखने के लिए मिट्टी की उर्वरता और पौधों को पोषकतत्वों की आपूर्ति को इष्टतम स्तर पर बनाए रखना है।

****